

श्री. जगदीशजी जोशी
प्रतिगणन द्वारा 19/9/18
का कार्य अंतर्गत
19/9/18

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर

म.प्र. केम्प इन्दौर के समक्ष

69

जिगरानी-5822/2018/धार/श्रु.श.

1. शिवनारायण पिता स्व. हीरालालजी जोशी

निवासी-सोनियाखेड़ी तह. सरदारपुर जिला धार म.प्र.

2. कैलाश पिता स्व. हीरालालजी जोशी

निवासी-टाण्डा तह. कुक्षी जिला धार म.प्र.

3. सुरेश पिता शिवनारायण जोशी

निवासी-सोनियाखेड़ी तह. सरदारपुर

जिला धार म.प्र.

..... प्रार्थीगण / आवेदकगण

विरुद्ध

1. मुकेश पिता बाबूलाल जोशी

निवासी - ग्राम घटोदा तह. सरदारपुर

जिला धार

2. शारदाबाई पिता बाबूलालजी (पति श्यामलाल उपाध्याय)

निवासी-भैसोला तह. बदनावर जिला धार म.प्र.

3. सुन्दरबाई पिता बाबूलालजी (पति हरीश दुबे)

निवासी-अहिरखेड़ी, इन्दौर म.प्र.

4. मन्नुबाई बेवा जगदीशलाल जोशी,

निवासी-कन्नोद तह. कन्नोद जिला देवास म.प्र.

5. जीवन पिता जगदीशलाल जोशी

निवासी-कन्नोद तहसील कन्नोद जिला देवास म.प्र.

6. राकेश पिता जगदीशलाल जोशी

निवासी-कन्नोद तहसील कन्नोद जिला देवास म.प्र.

7. दुर्गाबाई पिता हीरालाल जोशी (पति छगनलाल जोशी)

निवासी-30, सरदार पटेल मार्ग, निचला वास,

बदनावर जिला धार म.प्र.

8. वासुदेव पिता गणेशलाल जोशी
निवासी-पदमपुरा तह. सरदारपुर जिला धार म.प्र.
9. भेरूलाल पिता गणेशलाल जोशी,
निवासी-अहीरखेड़ी तह. व जिला इन्दौर म.प्र.
10. सुरेश पिता शिवनारायण जोशी
निवासी-सोनियाखेड़ी तह. सरदारपुर जिला धार म.प्र.
11. सरपंच ग्राम पंचायत घटोदा
तह. सरदारपुर जिला धार म.प्र.
12. सचिव ग्राम पंचायत घटोदा
तह. सरदारपुर जिला धार म.प्र. प्रतिप्रार्थीगण / अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता 1959

मान्यवर महोदय,



अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) क्षेत्र सरदारपुर जिला धार द्वारा प्र.क. 49/अपील/2016-17 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 07.09.2018 से व्यथित व असंतुष्ट होकर प्रार्थीगण इस माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की है।



राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक निगरानी/5822/2018/धार/भूरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18-12-18	<p>आवेदकपक्ष अधिवक्ता श्री अजय श्रीवास्तव उपस्थित। अनावेदक क्रमांक 1 अधिवक्ता श्री तुषार दुबे उपस्थित। आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 06-02-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p> अध्यक्ष</p> <p> अध्यक्ष</p>	